राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2008/2023

दयाराम —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव (कृषि), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त कृषि विभाग पंत कृषि भवन, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.08.2023
आदेश की दिनांक : 08.08.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक जोशी, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी कृषि विभाग में सहायक निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद् बयाना भरतपुर में कार्यरत था। अपीलार्थी की जन्मतिथि 01.07.1961 होने के कारण प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 05.02.2021 (अनुलग्नक–1) जारी कर उसकी सेवानिवृत्ति तिथि 30.06.2021 अंकित की, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 06 पर अंकित है। उक्त आदेश के अनुसरण में उप निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद भरतपुर ने आदेश दिनांक 30.06.2021 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 30.06.2021 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात् पेंशन विभाग ने अपीलार्थी का पी.पी.ओ. जारी किया। उक्त पी.पी.ओ. का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की पेंशन 01.07.2021 से शुरू हो गई थी (अनुलग्नक–3)। राजस्थान सेवा नियम के नियम 29 के अनुसार जब तक राजस्थान (सीसीए) रूल्स के संबंधित प्रावधानों के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि सक्षम अधिकारी द्वार रोकी नहीं जावे, तब तक एक राज्य कर्मचारी को सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि सामान्य रूप से मिलती रहेगी। अपीलार्थी ने दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2021 तक की सेवा पूर्ण कर ली थी। अतः वह एक वार्षिक वेतन प्राप्त करने का अधिकारी हो गया था

परन्तु विभाग ने उसे एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2021 तक का नहीं दिया। प्रत्यर्थी विभाग के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई को दिया जाता है। अतः अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2021 तक की सेवा गणना करके उसे उस अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान न करने के विरूद्ध एक ज्ञापन प्रत्यर्थी विभाग को जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भेजकर निवेदन किया कि उसे जुलाई 2021 में एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जावे परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2021 तक सेवा पूर्ण करने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। उन्होनें अधिकरण का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 2471 of 2023 (@ SLP (c) No. 6185/2020) The Director (Admn. & HR) KPTCL & ORs. Vs C.P. Mundinamani & ORs. में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2023 एवं माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य (SB Civil Writ Petition No. 21/2020) की तरफ ध्यान आकर्षित किया। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष उक्त न्याय निर्णयों के दृष्टिगत अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य